संख्या-63/2022/ 2092 /004-54-2002-002-3-2022

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय" हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि निदेशक, आईसीडीएस के प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहहार निदेशालय" के विभिन्न मानक मदों में कुल प्रावधानित धनराशि रु0 15524.37 लाख के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) हेतु सम्भावित व्यय के दृष्टिगत धनराशि रु0 5165.50 लाख (रुपया इक्यावन करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-34/2022/789/001-2-3-2-17 दिनांक 19-04-2022 द्वारा जारी की गयी।

2- इस संबंध में निदेशालय पत्र संख्या-430/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 22 जुलाई, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अधीन आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु संलग्नक में उल्लिखित योजना में उपशीर्षकों के अन्तर्गत दिये गये मानक-मदवार विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रु0 15524.37 लाख के सापेक्ष सम्भावित व्यय के दृष्टिगत धनराशि रु0 10058.87 लाख (रुपया एक अरब अटठावन लाख सतासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नखलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा । यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है । बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है । अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(8) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2235021020300 (बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	01 वेतन	59,20,00,000 (रुपये उनसठ करोड़ बीस लाख मात्र)
2	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	23,02,10,000 (रुपये तेईस करोड़ दो लाख दस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	04 यात्रा व्यय	87,00,000 (रुपये सतासी लाख मात्र)
4	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
5	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	06 अन्य भत्ते	27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र)
6	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	1,30,00,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)
8	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	09 विद्युत देय	34,00,000 (रुपये चौंतीस लाख मात्र)
9	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
10	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,27,00,000 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)
11	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
12	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
13	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
14	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,20,00,000 (रुपये पांच करोड़ बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,34,00,000 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख मात्र)
16	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	18 प्रकाशन	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
17	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
18	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	29 अनुरक्षण	72,20,000 (रुपये बहत्तर लाख बीस हजार मात्र)
19	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	42 अन्य व्यय	87,00,000 (रुपये सतासी लाख मात्र)
20	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
21	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
22	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
23	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,05,00,000 (रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र)
24	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	67,00,000 (रुपये सड़सठ लाख मात्र)
25	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	51 वर्दी व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
26	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	2,72,57,000 (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख सत्तावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	049	2235021020300 बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
	कुल			1,00,58,87,000 (रुपये एक अरब अट्ठावन लाख सतासी हजार मात्र)

महायोग	1,00,58,87,000 (रुपये एक अरब अट्ठावन लाख सतासी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-63/2022/ 2092(1)/004-54-2002-002-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।